प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 19.12.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 363/376(3) भादवि व 4(2) पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 20.05.2020 को वादिया ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अरशद पुत्र तुफैल अहमद निवासी मौ0 काहरान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर, वादिया की पुत्री को बहलाफुसलाकर ले गया। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 155/20 धारा 363 भादवि व 18 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.11.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अधिनियम जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 155/20 धारा 363,376(3) भादवि व 4(2) पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अरशद पुत्र तुफैल अहमद निवासी मौ0 काहारान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- अरशद पुत्र तुफैल अहमद निवासी मौ0 काहरान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर दिनॉक 19.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 संदिग्ध मोटरसाइकिलो को रोका गया तो एक मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त को मौके से पकड लिया तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 02 अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये। पकडे गये अभियुक्त ने अपना नाम अयान पुत्र मौहम्मद राबिन निवासी मौहल्ला पतियापाडा कस्बा व थाना चांदुपर जनपद बिजनौर बताया तथा फरार अभियुक्तगण के नाम दीप उर्फ दीपू व 01 अज्ञात बताया। अभियुक्त अयान के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस यूपी 20 सीई 7559, जिसकी पिछली नम्बर प्लेट कागज से ढकी हुई थी बरामद किये गये।

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अयान पुत्र मौहम्मद राबिन निवासी मौहल्ला पतियापाडा कस्बा व थाना चांदुपर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 703/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट व 345(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अयान पुत्र मौहम्मद राबिन निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1–एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस

2–एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (यूपी 20 सीई 7559)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2–आरक्षी 1116 अवनीश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3–आरक्षी 2309 किशनकान्त दूबे थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4–आरक्षी 2585 बृजेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

5–आरक्षी 810 मोनू थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

6–आरक्षी 1504 अनिल दयाल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर   दिनॉक 19.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 699/24 धारा 115(2)/127(2)/352/351(3)/191(2)/190 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.12.2024 को वादी श्री जयकुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी कुमरौआ थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि 04–05 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी को अपने घर में बंद कर उसके साथ मारपीट व गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 699/24 धारा 115(2)/127(2)/352/351(3)/191(2)/190 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.नासिर पुत्र यासीन 2. मौ0 जैद पुत्र फिरोज अहमद 3.रोहित कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासीगण ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 699/24 धारा 115(2)/127(2)/352/351(3)/191(2)/190 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.नासिर पुत्र यासीन 2.मौ0 जैद पुत्र फिरोज अहमद 3.रोहित कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासीगण ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नासिर पुत्र यासीन निवासी ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.मौ0 जैद पुत्र फिरोज अहमद निवासी ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.रोहित कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम दरबाडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 म0उ0नि0 श्री जया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2–हे0का0 464 दिनेश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3–आरक्षी 2048 इंसाद थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4–आरक्षी 711 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर   दिनॉक 19.12.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाना चांदपुर के मु0अ0सं0 122/24 धारा 420/467/468/471 भादवि व धारा 63/72 आबकारी अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.03.2024 को आबकारी व थाना चांदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक कैंटर ट्रक से कुल 603 पेटी अवैध विदेशी मदिरा व कैंटर वाहन संख्या – एच0पी0 63 सी 3229 से कूटरचित दस्तावेज आदि बरामद किये तथा घटना में सलिप्त अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 420/467/468/471 भादवि व धारा 63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 22.04.2024 को अभियोग से संबंधित अभियुक्त अब्दुल वारी उर्फ रहमान पुत्र लियाकत निवासी तरसानू उर्फ नेरूवा शिमला हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना नूरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.12.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा थाना चांदपुर के मु0अ0सं0 122/24 धारा 420/467/468/471 भादवि व धारा 63/72 आबकारी अधि0 में वांछित अभियुक्त राजेश मधाईक पुत्र लेखराज निवासी नगर पंचायत चौपाल शिमला हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. राजेश मधाईक पुत्र लेखराज निवासी नगर पंचायत चौपाल शिमला हिमाचल प्रदेश।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2–उ0नि0 रवि कुमार नूरपुर जनपद बिजनौर।
3–उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदुपर जनपद बिजनौर।
4–हे0का0 सुमित कुमार नूरपुर जनपद बिजनौर।
5–आरक्षी निशान्त कौशिक नूरपुर जनपद बिजनौर।
6–आरक्षी हरिओम नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 19.12.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 595/24 धारा 64(1)/115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.12.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त अभिषेक पुत्र सतपाल निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री के साथ मारपीट की व जबरन गलत काम किया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 595/24 धारा 61(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 19.12.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 595/24 धारा 64(1)/115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र सतपाल निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अभिषेक पुत्र सतपाल निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–आरक्षी 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 19.12.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (तमंचा), मोटरसाइकिल व रक्त लगी शर्ट सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.12.2024 को वादिया श्रीमती प्रकाशो देवी पत्नी स्व0 राकेश कुमार निवासी ग्राम अल्हैपुर नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि 1.नीरज सैनी 2.उज्जवल 3.कृष्णा 4.विशाल 5.आकाश 6.विनय 7.हन्नान ने रात्रि समय करीब 08.25 बजे वादिया के पुत्र नीरज कुमार (उम्र करीब 23 वर्ष) को कॉल करके पूर्व में हुए झगडे में फैसला करने के लिये बडवान रोड पर स्थित सैंट मेरी स्कूल के पास बुलाकर मारपीट की गयी तथा गोली मारकर वादिया के पुत्र नीरज की हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 564/24 धारा 103(2) / 3(5) / 191(2) / 190 / 126 (2) व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम नीरज सैनी आदि उपरोक्त कुल 07 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.नीरज सैनी पुत्र मूलचंद निवासी मौहल्ला बाडवान थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.उज्जवल पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी हरदासपुर गढी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर हाल निवासी रानी बाग कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3.कृष्णा रस्तोगी पुत्र नंदकिशोर निवासी मौहल्ला बाडवान थाना धामपुर जनपद बिजनौर 4.विनय पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम मिलक भज्जावाला हाल निवासी मौ0 शक्ति नगर थाना धामपुर बिजनौर 5.आकाश पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर पृथ्वी उर्फ आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 312 बोर का तमंचा व एक जिन्दा कारतूस, घटना के समय अभियुक्त उज्जवल द्वारा पहनी गयी रक्त लगी शर्ट एवं R15 मोटरसाइकिल बरामद की गयी है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 14.10.2024 को अभियुक्त उज्जवल नौरंगाबाद मे बनी अम्बेडकर धर्मशाला में अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहा था। इसी दौरान धर्मशाला के बाहर नीरज (मृतक) और उसके गांव के काफी लोग आ गये। धर्मशाला में शोर शराबे को लेकर उज्जवल की नीरज (मृतक) से कहासुनी हो गयी थी, जिसके बाद गांव वालों ने मामला शान्त करा दिया था। इसके कुछ देर बाद उज्जवल, विनय और नीरज सैनी, शीला टॉकिज के पास केक लेने गये तो रास्ते में नीरज (मृतक) और उसके दोस्तों की अभियुक्तगण 1.उज्जवल, 2.विनय और 3.नीरज के साथ मारपीट हुई। इसी बात से क्षुब्ध होकर उज्जवल ने नीरज सैनी, कृष्णा रस्तोगी, विशाल, आकाश, विनय और हन्नान के साथ मिलकर नीरज की हत्या करने की योजना बनायी। अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त तमंचा आकाश पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर पृथ्वी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर हाल निवासी मौहल्ला शक्तिनगर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने उपलब्ध कराया।

दिनांक 16.12.2024 को उज्जवल ने नीरज सैनी, कृष्णा रस्तोगी, विशाल, आकाश, विनय और हन्नान को बुलाया और फिर नीरज सैनी के फोन से विनय ने नीरज को बात करने के बहाने से सैन्ट मैरी स्कूल के पास बुलाया। समय करीब 08.30 बजे नीरज के पहुंचने पर अभियुक्तगण उज्जवल, नीरज सैनी और विनय, नीरज के पास पहुँचे और धक्का मुक्की करने लगे। इसी दौरान उज्जवल ने अपने पास रखे 312 बोर के तमंचे से नीरज के सीने के पास सटाकर गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर मौके पर ही गिर गया और तीनों पास में खडी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गये एवं इनके अन्य साथी भी मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नीरज सैनी पुत्र मूलचंद निवासी मौहल्ला बाडवान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.उज्जवल पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी हरदासपुर गढी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर हाल निवासी रानी बाग कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.कृष्णा रस्तोगी पुत्र नंदकिशोर निवासी मौहल्ला बाडवान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.विनय पुत्र तेजपाल सिंह निवासी ग्राम मिलक भज्जावाला हाल निवासी मौ0 शक्ति नगर थाना धामपुर बिजनौर
5.आकाश पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम रसूलपुर पृथ्वी उर्फ आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त 312 बोर का तमंचा व एक जिन्दा कारतूस
घटना के समय अभियुक्त उज्जवल द्वारा पहनी गयी रक्त लगी शर्ट
घटना में प्रयुक्त R15 मोटरसाइकिल

अभियुक्त उज्जवल का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 371/2021 धारा 34/379/411/482 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 127/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 367/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 163/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 158/2021 धारा 34/411/413/414/420/465/468/482 भादवि थाना हल्दौर बिजनौर
8.मु0अ0सं0 168/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 55/2021 धारा 379/411 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 366/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 420/2024 धारा 110/115(2)/352 बीएनएस थाना धामपुर जनपद बिजनौर
10.मु0अ0सं0 564/24 धारा 103(2)/3(5)/191(2)/190/126(2) व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना धामपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.श्री राजेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री गोपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 राजीव थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4.उ0नि0 श्री ब्राइट फ्लावर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5.हे0कां0 645 प्रदीप अमित थाना धामपुर जनपद बिजनौर
6.कां0 2488 अनिल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
7.कां0 326 विपिन थाना धामपुर जनपद बिजनौर
8.कां0 2062 धर्मेन्द्र कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर